Mogi

Govt. Indru Kenwat Girl's
R.No- 454
DATE 07/11/17

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 993 / 25 /आउशि / सम / 2017 नया रायपुर, दिनांक 3 / 10 / 2017 3/11/2017

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त निजी / राजकीय विश्वविद्यालय,
   छ.ग. ।
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय
   छत्तीसगढ़ ।

विषय :– **विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन करने संबंधी ।**

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 4896 / 1861 / 2016 / 38–2 दिनांक 09.10.2017

---00---

उपर्युक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.अरूण सिंह)
उप संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / / /आउशि / समन्वय / 2017 नया रायपुर, दिनांक / 10 / 2017

प्रतिलिपिः–

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को उनके संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

श्री डॉ. समुंद्र सहा. प्रा.

उप संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

No.: L-2017...... 22- ...1690...
AD (CR)../ JD (K)/DD ....
Section ....
Date 10 OCT 2017 C.H.E.

क्रमांक 4896/1861/2016/38-2 नया रायपुर, दिनांक 07/10/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)

विषय :- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने संबंधी।

संदर्भ :- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली का डी.ओ. लेटर नं. 16-1/2017-US(Vol.-II) दिनांक 14.09.2017.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एन्टी रैगिंग के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना एवं उस पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कृपया सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को एन्टी रैगिंग के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित कर, विभाग को अवगत कराएं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नलिनी माथुर)
अवर सचिव,
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

पृ.क्र /1861/2016/38-2 नया रायपुर, दिनांक /10/2017

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छ.ग., उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. श्री एस.शंकर, उप सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के डी.ओ. लेटर नं. 16-1/2017-US (Vol.-II) दिनांक 14.09.2017 के अनुपालन में।
4. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. कुलसचिव, समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छ.ग.,
6. प्राचार्य, समस्त शास./निजी महाविद्यालय, छ.ग.
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

392 |PS

Scanned with CamScanner

...cted Sir,

...ease find enclosed herewith letter D.O. No. 16-1/2017-U.5(Vol-II) dated 14 September, 2017 from the Deputy Secretary (HE), Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi for issuing necessary directions in this regard.

With regards

--

From:-
S.O. (A&P)
Education Division
ICAR- KAB II, Pusa
New Delhi-110012

O/O CHIEF SECRETARY
Govt. of Chhattisgarh
DAK-CS- 1255 L
Date:
07 OCT 2017

U.S.

ARSC HEdn

क्रमांक 7.02
अ.मु.स. उ.शि. 2017
दिनांक 07/10/2017

V.S.

T.L - 1 day.

244/Secy H.E
9.10.17

Pl. immediately issue instructions.

7 OCT 2017

J.S.(H.E) / OSD (V)

US/SO

09/10/17

3913
9.10.17

tps://mail.gov.in/iwc_static/layout/main.html?lang=en&3.0.1.2.0_15121607

1/1

Scanned with CamScanner

कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
AISHE CODE – C- 24967
Phone No. 07868-223904 Website – http://ggcknk.in/ Mail Id - ggckanker@gmail.com

क्र/486/ए.रै.स./2017–18 कांकेर, दिनांक 15/12/2017

=कार्यालय आदेश=

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का का पत्र क्रमांक/4896/1861/2016/38–2 नया रायपुर, दिनांक 09/10/2017 के अनुपालन में एन्टी रैगिंग के संबंध में दिए गये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने एवं आवश्यक कार्यवाही के तहत अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। रैगिंग या अनुशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

स.क्रं.	सदस्यों के नाम	पद	मोबाइल नं.
1	प्रो. बी. समुंद	(संयोजक)	9826194297
2	डॉ. क्षमा ठाकुर	(सदस्य)	9826482394
3	श्रीमती राजकुमारी गढपाले	(सदस्य)	9424295027
4	पेमिका नेताम	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9754149436
5	निशा कुरेटी	(सदस्य) (छात्रा प्रतिनिधि)	9340969104

PRINCIPAL
Govt.(Indaru Kenwat) Girl's College Kanker
Distt. U. B. Kanker (C.G.)
शासकीय ... महाविद्यालय कांकेर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

कार्यालय-प्राचार्य, शास. इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय,कांकेर
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

AISHE CODE – C- 24967

Phone No. 07868-223904 Website – http://ggcknk.in/ Mail Id - ggckanker@gmail.com

दिनांक : 21/12/2017

=सूचना=

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कार्यालीन स्टॉफ, अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति व समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय/अध्ययनशालाओं में एन्टी रैगिंग के संबंध में यू.जी.सी. उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन संबंधी गठित अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 23/12/2017, दिन शनिवार को कक्ष क्रमांक – 04 में दोपहर 01 बजे से रखा गया है। महाविद्यालय के स्टाफ एवं छात्राएँ किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर अथवा इस मुद्दे पर अपनी बात रखने एवं सुझाव देने पर बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

(प्राचार्य)
शासकीय इन्दरू केंवट कन्या
महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Indaru Kenwat
Girl's College Kanker
Distt. U. B. Kanker (C.G.)

Dr. Kshama Thakur

सत्र - 2017 - 18

अनुशासन एवं एन्टी रैगिंग समिति बैठक कार्यवाही —

प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय / अध्ययनशालाओं में एन्टी रैगिंग के संबंध में यू.जी.सी. उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने के अनुपालन में गठित अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति की बैठक दिनांक 23/12/2017 को संयोजक प्रो. बी. समुद्रे की अध्यक्षता एवं सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई एवं प्रस्ताव पारित किया गया। आवश्यक सुझाव दिया गया।

1. महाविद्यालय के पूरे परिसर में सीसीटीवी. सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था।
2. अलार्म बेल्स की व्यवस्था सुनिश्चित हो -
3. क्विक रिस्पांस सिस्टम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करना।
4. एन्टी रैगिंग स्क्वायड का गठन किया गया है।

Scanned with CamScanner

(5) ऐच्छिक इंटरैक्शन एवं काउंसलिंग की सुविधा।
(6) फ्लेक्स व बैनर के माध्यम से प्रचार किया जाए।
(7) महाविद्यालय के प्रवेश के समय एवं एडमिशन के समय एंटी रैगिंग के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाये।
(8) रैगिंग में लिप्त छात्राओं/स्टॉफ पर त्वरित कार्यवाही पर दण्ड का प्रावधान सुनिश्चित हो।
(9) मोबाइल/एसएमएस/ईमेल के माध्यम से त्वरित शिकायत की सुविधा।
(10) नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन - नं. 1800-180-5522 को बोर्ड/इश्तहार प्रदर्शित।
(11) वेबसाइट के माध्यम से जानकारी - www.antiragging.in.
(12) आपातकालीन स्थिति में संपर्क हेतु - महाविद्यालय का मोबाइल नं. 9826462391
(13) एंटी रैगिंग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम/प्रतियोगिता आयोजित की जाये।
(14) हेल्प डेस्क की स्थापना हो
(15) शिकायत बॉक्स की व्यवस्था हो।

आज दिनांक को आयोजित बैठक में अनुशासन एवं रैगिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत (लिखित या मौखिक) रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

① प्रो. बी. रतमुद (संयोजक) [signature]

② डॉ. क्षमा ठाकुर (सदस्य) — [signature]

③ श्रीमति राजकुमारी गढ़पाले (सदस्य)

④ प्रमिता नेताम (सदस्य) [signature]
छात्रा प्रतिनिधि

⑤ निशा कुरेटी (सदस्य) [signature]
छात्रा प्रतिनिधि

[signature]
PRINCIPAL
Govt. Indaru Kenwat
Girl's College Kanker
Distt. U. B. Kanker (C.G.)

Scanned with CamScanner